



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय  
नारायणपुर, जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 07781-252655, 252755 ई.मेल: narayanpurcollege@gmail.com वेब. www.gdenarayanpur.com

क्रमांक/ 1156./अ. शि.स. /प्राणी./2024-25  
प्रति,

नारायणपुर, दिनांक 12.02.2025

सुश्री खुशबू साह/पिता श्री फुलेश्वर साह  
ग्राम - मड़ेली, पोस्ट- मड़ेली, तहसील - कुरूद  
जिला-धमतरी पिन कोड 493770 छत्तीसगढ़  
Email ID - khushbusahu0406@gmail.com

विषय:- प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध शैक्षणिक सत्र 2024-25 के रिक्त पदों में अतिथि शिक्षण  
सहायक विषय :-प्राणीशास्त्र के पद पर अध्यापन व्यवस्था हेतु आमंत्रित।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 554/ स्थापना/व्या./अंतिम सूची 2024-25 नारायणपुर, दिनांक 11 सितंबर 2024 ।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-54/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20.06.2024 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 574/126/आ.उ.शि./राज. स्थापना/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 के अनुसार अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अंतर्गत इस महाविद्यालय में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षण व्याख्याता को 40-50 मिनट के लिए प्रति व्याख्यान ₹300/- (रूपये तीन सौ मात्र) एवं 60 मिनट के लिए प्रति व्याख्यान ₹350/- (रूपये तीन सौ पचास मात्र) जो प्रतिदिन क्रमशः ₹1200/- (रूपये एक हजार दो सौ मात्र) एवं ₹1400/- (रूपये एक हजार चार सौ मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह ₹30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) एवं ₹35,000/- (रूपये पैंतीस हजार मात्र) की सीलिंग के अधिन होगी।

अतिथि शिक्षण सहायक विषय:- प्राणीशास्त्र मेरिट क्रमांक 05 में आपका चयन हुआ है। अतः आप दिनांक 17 फरवरी 2025 तक महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति दें। आपको निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

(1) निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उसकी व्यवस्था स्वतः निरस्त मानी जाएगी तथा अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(2) कार्यभार के समय शपथ पत्र (परिशिष्ट-2) देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधित प्रकरण विचारधीन नहीं है। साथ ही व किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिकायत कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने के आधार पर सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।

(3) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा परिक्षण में अभिलेख सही पाए जाने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(4) नियमित प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति होते ही आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

( डॉ.एस.आर. कुंजाम )

PRINCIPAL

शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय, नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 12.02.2025

पृ. क्रमांक/ 1157./अ. शि.स. /प्राणी./2024-25  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक- सी 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इंद्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इंद्रावती भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बस्तर संभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा वेतन प्रभारी, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

( डॉ.एस.आर. कुंजाम )

PRINCIPAL

शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय, नारायणपुर (छ.ग.)

Chhattisgarh

**शपथपत्र**  
(50 रुपये के गैर-न्यायिक कागज पर नोटरीकृत)

मैं..... पिता ..... उम्र ..... वर्ष रहवासी  
.....एतद् द्वारा शपथपूर्वक  
घोषणा करता/करती हूँ कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति  
2024 की व्यवस्था अंतर्गत मुझे ..... विश्वविद्यालय की .....  
अध्ययनशाला/महाविद्यालय ..... जिला .....के .....  
विषय के प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी के रिक्त पद के  
विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय  
सहायक/क्रीडा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) हेतु आमंत्रित किया गया है जिसे स्वीकार कर  
नीति में दी गयी निम्न शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं शपथपूर्वक यह भी स्वीकार करता/करती  
हूँ कि किसी भी सूचना के गलत पाये जाने की स्थिति में इस आमंत्रण/व्यवस्था को निरस्त किया जा  
सकता है -

1. मैं छत्तीसगढ़ राज्य का/की मूल निवासी हूँ/नहीं हूँ।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
3. मैं किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं हूँ एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/धकार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर मेरी सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
4. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं सभी शर्तें मुझे मान्य है।
5. इस व्यवस्था के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

यदि उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी अन्य कारण से बिना सूचना/अनुमति 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा मेरी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

गवाह

- 1.
- 2.